F.No. A-44011/07/2017-Admn-I (Pt) Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare Department of Animal Husbandry and Dairying (Administration-I Division)

Krishi Bhawan, New Delhi Dated the 30thApril, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Adoption of guidelines framed by DOT to grant compensation in cases of death/permanent incapacitation of persons due to unintended/unforeseen occurrences during maintenance operation and provisioning of public services- adoption by other Ministries/Departments and Government entities functioning under their administrative control-reg.

The undersigned is directed to refer to Cabinet Secretariat's ID No. 111/2/3/2016-Cab.III dated 12th July, 2017 vide which it was requested that guidelines framed by DOT to grant compensation to the families of the victims dying at public places due to the negligence and/or unforeseen causes, may be examined for adoption, with or without modification as per need, and subsequent reminders on the subject and to state that guidelines for settlement of claims for compensation of accidents applicable to Department of Animal Husbandry and Dairying and Autonomous Bodies/ Associated Agencies under its control have been adopted with the approval of Hon'ble Minister of Agriculture and Farmers' Welfare.

Copies of the guidelines in bilingual are being forwarded herewith for kind information. 2.

Encl: As Above

(S. C. Srivastav) Deputy Secretary to Govt of India Tel: 23383340

To,

Cabinet Secretariat, [Kind Attention: Shri Alok Tiwari, Deputy Secretary], Rashtrapati Bhawan, New Delhi

Copy to:

- 1. PS to Hon'ble Minister of Agriculture and Farmers' Welfare.
- 2. PS to Hon'ble MOS (A&FW) (KR)
- 3. Sr. PPS to Secretary (AHD).
- 4. PPS to AS&FA.
- 5. PS to JS (Admn).
- 6. All Divisional Heads/AHC
- 7. US (Admn.III)/ US (Admn.IV)/ US (Admn.VI)-with a request to circulate these Guidelines amongst all Attached/Subordinate Offices under the Administrative control of this Department.
- 8. NIC Cell- for uploading on the website of the Department.

GUIDELINES FOR SETTLEMENT OF CLAIMS FOR COMPENSATION OF ACCIDENTS VICTIMS APPLICABLE TO THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND AUTONOMOUS BODIES/ ASSOCIATED AGENCIES UNDER ITS CONTROL

PREAMBLE:

Accidents are unfortunate incidents, occurrences of which cannot be obliterated completely, but can only be minimized by adopting most vigilant practices, safety precautions etc. Sometimes accidents do happen when responsibility and liability cannot be affixed on certain individuals or malfunctioning of certain machinery and the law recognizes the Principle of 'No faulty Liability' for such unfortunate incidents. In such cases, the loss of life and loss of dependency cost of the dependents of such victims cannot be written off merely on the pretext that negligence on the part of Department or its agencies cannot be substantiated for want of stricter proofs. Also being in the public domain and mandated by the Constitution to work for the larger interest of the society, it is expected from the Department/Entities to pay a just compensation for any loss of life or a good life to the victims or dependents of such victims in addition to the existing provisions under various welfare legislations. The Department being employer is required to undertake certain duties.

2. While formulating these Guidelines, it has also been considered that Department have strict responsibilities towards well being of its employees and they have only that organization to depend upon in the event of the occurrence of any accident. In case of contractor employees, Department has implied and indirect responsibility towards their well being. Whereas in the case of a person who is neither Department's employee nor a Contractor's employee, there is no direct or strict responsibility with respect to paying any compensation in case of Death or Injury due to accident. However, keeping in view the larger perspective of public welfare, Department must pay some compensation in their cases also. They would also be eligible for compensation from their respective employers in addition to the compensation under these Guidelines. The Department shall also endeavour to make arrangement for first aid facility in the premises and the injured must be provided with the medical aid, at the earliest.

GUIDELINES FOR SETTLEMENT OF CLAIMS FOR COMPENSATION ON ACCIDENTS VICTIMS APPLICABLE TO THE DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING AND AUTONOMOUS BODIES/ ASSOCIATED AGENCIES UNDER ITS CONTROL.

- 1. Title: These guidelines would be called as Guidelines for Settlement of Claims for Compensation.
- 2. Effective date: The guidelines would be effective from the date of approval.
- Applicability: These guidelines would govern the settlement of compensation claims arising out of accidents resulting into loss of life or permanent disability.
- 4. Category of employees: Employees of Department of Animal Husbandry and Dairying and Autonomous Bodies/ Associated Agencies under its control.
- 5. Definitions:
 - a. Accident: Any death or permanent disability resulting solely and directly from any unintended and unforeseen injurious occurrence caused during the maintenance, operation and provisioning of any public services undertaken by the Department.
 - b. Competent Authority: Competent Authority means Secretary to Government of India in the Department or Chairman / Director General / Chief Executive Officer/ Managing Director of a Public Sector Undertaking/Autonomous Body under the control of Department of AH&D.
 - c. **Department :** Department of Animal Husbandry and Dairying and for the purposes of the present Guidelines includes, Autonomous Bodies, Associated Agencies, under the control of the Department of Animal Husbandry and Dairying.
 - d. **Dependent:** As defined in the Employee's Compensation Act, 1923 Spouse /Children / Parents.
 - e. Designated Officer: An Officer designated by the Competent Authority of the Grade of Director (Admn.)/ Deputy Secretary (Admn.) / Chief Administrative Officer/Senior Administrative Officer/Administrative Officer or equivalent for the purposes of receiving and processing claims for compensation under the present Guidelines.
 - f. Victim: Any person who suffers permanent disablement or dies in an accident as defined in these Guidelines.
 - g. Permanent Disablement: A disablement that is classified as a permanent total disablement under the provision to Section 2(I) of The Employee's Compensation Act, 1923.

....2/-

5. Detailed Accident Report: - The report prepared by the police within a period of 30 days from the date of incident as per Schedule –I of this guidelines.

Explanation: For the purposes of the preparation of the detailed accident report, the word "injury" as referred in Schedule –I refers to "permanent disability" as mentioned in clauses 5(g) of the Guidelines.

- 6. Extent of Liability : On the occurrence of any "accident" as defined under these Guidelines, the Department shall, whether or not there has been any wrongful act, neglect or default on its part and notwithstanding contained in any other law (except accidents occurring while attempting /committing any illegal act by victim/disabled), it would be liable to pay compensation to such extent as prescribed below:
 - In the event of death or permanent disability resulting from loss of both limbs: Rs.10,00,000/-(Rupees Ten Lakh).
 - (ii) In the event of other permanent disability : Upto Rs.7,00,000/- (Rupees Seven Lakh)

7. Procedure for settlement of claims in respect of compensation:

- a. The victim or his/her dependent(s)/ legal heir(s) would make an application within a period of 90 days of the accident to the Designated Officer under whose jurisdiction the accident had occurred. The application should be accompanied by the following documents:
 - i. Proof of age of the victim
 - ii. Death certificate of the victim
 - Or

Permanent disability certificate issued by the Medical Board authorized by the Government

- iii. Certified copy of FIR lodged in respect of the accident.
- iv. Proof of applicant's relation with the victim/ Dependency Certificate.

The Designated Officer may seek any further documents for settlement of claim to its satisfaction.

Provided that where there are more than one dependent, the Applicant must mention their name, addresses and relations with the victims and the Designated Officer may at its own discretion issue notices to all before releasing the compensation.

....3/-

b. The Designated Officer on receipt of above application shall take into consideration the Detailed Accident Report submitted by the Police Authority would process the claim of compensations on priority basis and shall place the matter before the following Committee:

A. At DAH&D Proper:

i)	Joint Secretary (Admn.)	-	Chairman
ii)	Director/Deputy Secretary (Admn.)	-	Member
iii)	Director/Deputy Secretary(Finance)	-	Member
iv)	Under Secretary (Admn.)	-	Member

B. At AUTONOMOUS BODIES/ASSOCIATED AGENCIES UNDER ITS CONTROL:

i)	Chief Executive Officer/ Chief Administrative Officer/Senior Administrative Officer/Administrative Officer	-	Chairman
ii)	Director/Deputy Secretary (Personnel)	-	Member
iii)	Director/Deputy Secretary(Finance)	-	Member
iv)	Under Secretary / Deputy Director(Admn)	-	Member

No Member / Chairman of the above Committee shall be entitled to any remuneration or honorarium.

- c. The Designated Officer, in case where no application is received from the victims/dependents of victims, may on receipt of the detailed accident report proceed suo-moto to initiate the process for consideration for grant of the compensation to the victim /dependents of victim.
- d. Provide that where there are more than one dependent, the applicant must mention their name, address and relations with the victims and the Director(Admn)/Deputy Secretary(Admn)/ CEO/CAO/SAO/US/DD/SO/AO may at its own discretion issue notices to all before releasing the compensation.
- e. The recommendations of the Committee would be submitted for approval of the Secretary for DAH&D proper and Chairman/CEO/CAO/Director/In-charge in respect of other institutions.
- f. The entire process would be completed within 60 days from the receipt of the claim subject to the provision of required documents by the claimants.
- g. Once it has been decided to give suitable compensation as provided under the guidelines, then the payment would be made within 30 days of conveying such a decision subject to fulfilling of all the requirements by the victim/applicant(s).

....4/-

h. With effect from the date of the present Guidelines, all contracts/agreements to be entered into by the Department with any person or agency for maintenance, operation and provisioning of public service would invariably include a clause whereby any compensation paid under these guidelines shall be recoverable from such person, agency or firm.

i. In no case a claim for appointment of any of the dependents on the compassionate grounds would be entertained by the Department.

8. Method of Disbursement of compensation:

- (i) The amount of compensation so awarded shall be deposited in a Nationalized Bank / Post Offices or if the branch of a Nationalized Bank is not in existence, it shall be deposited in the branch of a scheduled commercial bank, in the joint or single name of the victim / legal heir(s)/dependent(s). Out of the amount so deposited, 75% (Seventy five percent) of the same shall be put in a fixed deposit for a minimum period of one year and the remaining 25% (twenty five percent) shall be available for utilization and initial expenses by the victim / dependents(s) as the case may be.
- (ii) In the case of a minor, 75% of the amount of compensation so awarded shall be deposited in the fixed deposit account and shall be drawn only on attainment of the age of majority, but not before one year of the deposit. Provided that in exceptional cases, amounts may be withdrawn for educational or medical needs of the beneficiary at the discretion of the Department.
- (iii) The interest on the sum shall be credited directly by the bank in the savings account of the victim dependent(s) on monthly basis.

9. Penalties for wrong and wilful claim:

The Department/ Autonomous Bodies/ ASSOCIATED AGENCIES may initiate FIR/Case proceeding / penalties/ penalties in terms of CCS Conduct Rule, for wrong and wilful claim by employee(s).

- Recovery: The Department / Autonomous Bodies/ ASSOCIATED AGENCIES may initiate FIR / Case proceeding / may recover the amount fully with interest thereon/ recovery from pensionery benefits if any; for wrong and wilful claim.
- 11. Appeal: An appeal against the decision of the Designated Officer in respect of the amount of compensation or rejection of such claim shall be made to competent authority(Secretary / Chairman/ Managing Director/ Director General / Chief Executive Officer) within a period of 90 days of such decision. The Competent Authority would decide the same within 60 days of receipt of such appeal.
- 12. Source of fund: Head "Other Charges" under Major Head 3451.

ln

SCHEDULE – I

	PART –I – PARTICULARS OF THE ACCIDENT			
1.	FIR No, Date and Under Section			
2.	Name of the Police Station			
3.	Date, Time, Place of the accident			
4.	Who reported the accident to the police			
5.	Name of the Person who took the victim to the hospital and Name of the Hospital	12		
6.	Whether any hospital denied treatment to the Victims?			
7.	Nature of the accident:- (i) Whether resulted in death or injury or both? (ii) Number of persons injured / died			
8.	Name and Contact No. of the Investigating Officer			
9.	Name of the witnesses of the accident			
10	Description of the accident			

l

	PART -II - IMPACT OF THE ACCIDENT ON THE VICTIN	٨S
1.	Death Cases:	
	(a) Name and Address of the deceased	
	(b) Age	
	(c) Gender	
	(d) Education	
	(e) Occupation	
	(f) Income (Monthly)	
	(g) Legal Heirs / Guardian	
	i. Name	
	ii. Relationship	
	iii. Age	
	iv. Address	
	v. Contact No.	
2.	Injury Cases (permanent disablement)	
	(a) Name and address of the injured	
	(b) Age	
	(c) Gender	
	(d) Education	
	(e) Occupation	
	(f) Income (Monthly)	
	(g) Details of family dependent of the victim MLC No.	
	(h) Nature of injuries	
	(i) Name of the Hospital where the injured treated	25
	(j) Whether victim refused medical treatment	
	(k) Period of hospitalization	
	(I) Period of treatment	
	(m) Whether treatment continuing	
	(n) Name, address and contact number of the doctor (s)	
	who treated the injured	
	(o) Whether the injured underwent any surgery? If yes,	
	then give particulars	
	(p) Whether suffered any permanent disability	
	(q) Expenditure incurred on treatment conveyance, special	
	diet, attendant etc. Give details, if available.	
	(r) Whether the injured got reimbursement of medical	
	expenses from his employer or under a mediclaim	

(r) Whether the injured got reimbursement of medical expenses from his employer or under a mediclaim policy. Give details, if available.
(s) Whether the injured was provided cashless treatment by the Insurance Company? Give details, if available.

Any other relevant information

3.

lr

	PART -III - RELEVANT DOCUMENTS TO BE ATTACHE	D
1.	First Information Report	
2.	Photographs of the scene of the accident from all angles	
3.	Statement of the witnesses recorded by the Police	
4.	Scientific report, if the Victim was under the influence of any liquor / drugs	
5.	 In case of Death (a) Post Mortem Report (b) Death Certificate (c) Photograph and proof of the identity of the Dead (d) Proof of legal representatives of the deceased. (e) Photograph, specimen, signatures attested by the bank and identify proof of the legal representatives of the deceased. (f) Treatment of the deceased with name and address of the Hospital (g) Bank account no. of the legal representatives of the deceased 	
6.	 In case of Injury (a) MLC. (b) Multi angled photographs of the injured (c) Photograph, specimen signatures attested by the bank and identify proof of the injured. (d) Disability Certificate. 	
7.	Any other relevant information	

VERIFICATION

Verified at ______on this ______ of _____that the contents of the above report are true and correct and the documents mentioned in **Part III** have been verified.

Station House Officer (Name and Stamp) Assistant Commissioner of Police (Name and Stamp)

Ir.

<u>पशुपालन तथा डेयरी विभाग और उनके नियंत्रणाधीन स्वायत निकायों/संबद्ध एजेंसियों पर लाग्</u> <u>दुर्घटना पीडि़तों के मुआवजे संबंधी दावों के निपटान हेतु दिशानिर्देश।</u>

प्रस्तावनाः

.

दुर्घटनाएं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाए होती हैं, जिन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। अत्यधिक एहतियाती प्रकियाओं, सुरक्षा सावधानियों इत्यादि को अपनाकर इन्हें केवल कम किया जा सकता है। कभी-कभी ऐसी दुर्घटनाएं भी होती हैं जब किसी व्यक्ति या किसी मशीनरी की खराबी पर जिम्मेदारी तथा उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता और ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में कानून 'कोई दोषपूर्ण दायित्व नहीं' के सिद्धांत को मानता है। ऐसे मामलों में ऐसे पीडितो के जीवन की हानि तथा आश्रितों के सहारे में होने वाली कमी को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि अधिक ठोस सबूतों की कमी के कारण विभाग या उसकी एजेंसियों की ओर से की गई लापरवाही को साबित नहीं किया जा सकता । साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र में होने के कारण तथा संविधान द्वारा समाज के व्यापक हित के लिए काम करने हेतु दिए गए अधिदेश के कारण विभाग/ईकाईयों से यह आशा की जाती है कि वे विभिन्न कल्याणकारी कानूनों के अधीन विद्यमान प्रावधानों के अलावा किसी भी जीवन की हानि के लिए या पीडितों अथवा ऐसे पीडितों के आश्रितों को एक अच्छा जीवन देने के लिए न्यायोचित मुआवजा देंगे। नियोक्ता होने के कारण विभाग से कुछ कर्त्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा की जाती है।

2. इन दिशानिर्देशों को तैयार करते समय इस पर भी विचार किया गया है कि विभाग का अपने कर्मचारियों की सलामती की ओर इढ उत्तरदायित्व होता है और किसी दुर्घटना की स्थिति में उनके पास केवल वह विभाग ही होता है, जिस पर वे निर्भर कर सकते हैं। कांट्रेक्टर कर्मचारियों के मामले में विभाग का उनकी सलामती के प्रति निहित तथा अप्रत्यक्ष उत्तरदायित्व होता है जबकि ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में जो न तो विभाग का कर्मचारी है और न ही कांट्रेक्टर का कर्मचारी है, दुर्घटना के कारण मृत्यु या चोट के मामले में कोई मुआवजा देने के संबंध में विभाग का कोई अप्रत्यक्ष या दढ उत्तरयादित्व नहीं है। तथापि, सार्वजनिक कल्याण के वृहत परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विभाग को ऐसे मामलों में भी कुछ मुआवजा देना चाहिए। पीडि़त इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्राप्त मुआवजे के अलावा अपने संगत नियोक्ताओं से भी मुआवजा प्राप्त करने के पात्र होंगे। विभाग अहाते में प्राथमिक उपचार संबंधी सुविधा की व्यवस्था करने का भी प्रयास करेगा तथा घायल व्यक्ति को यथाशीघ्र चिकित्सीय सहायता प्रदान की जाएगी।

In

पशुपालन तथा डेयरी विभाग और उनके नियंत्रणाधीन स्वायत निकायों/संबद्ध एजेंसियों पर लागू दुर्घटना पीडि़तों के मुआवजे संबंधी दावों के निपटान हेत् दिशानिर्देश।

- 1. शीर्षक: इन दिशानिर्देशों को मुआवजे के दावों के निपटान हेतु दिशानिर्देश कहा जाएगा।
- 2. प्रभावी होने की तिथि: ये दिशानिर्देश अनुमोदन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- प्रयोज्यता: ये दिशानिर्देश दुर्घटनाओं के कारण होने वाली जीवन की हानि या स्थायी नि:शक्ता के कारण होने वाले मुआवजा संबंधी दावों के निपटान को शासित करेंगे।
- 4. कर्मचारियों के वर्ग: पशुपालन तथा डेयरी विभाग तथा उसके नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकायों/संबद्ध एजेंसियों के कर्मचारी।
- परिभाषाएं:
 - क. दुर्घटनाः पूरी तरह से तथा प्रत्यक्ष रूप से विभाग द्वारा की जा रही किसी लोक सेवा के रख-रखाव, संचालन तथा व्यवस्था के दौरान होने वाली कोई अनचाही तथा अप्रत्याशित क्षति के परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु या स्थायी निःशक्तता।
 - ख. सक्षम प्राधिकारी: सक्षम प्राधिकारी का अर्थ विभाग में भारत सरकार के सचिव या पशुपालन और डेयरी विभाग के नियंणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ स्वायत निकाय के अध्यक्ष/महानिदेशक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ प्रबंध निदेशक है।
 - ग. विभाग: पशुपालन तथा डेयरी विभाग तथा वर्तमान दिशानिर्देशों के उद्देश्य के लिए इसमें पशुपालन तथा डेयरी विभाग के नियंत्रणाधीन स्वायत्त निकाय, संबद्ध एजेंसियां शामिल हैं।
 - घ. आश्रित: कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 में परिभाषित किए गए अनुसार पति/पत्नी/बच्चे/ माता-पिता।
 - ड. विनिर्दिष्ट अधिकारी: वर्तमान दिशानिर्देशों के अंतर्गत मुआवजे के दावे प्राप्त करने तथा उन पर कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट निदेशक (प्रशा.)/उप सचिव (प्रशा.)/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी या उसके समकक्ष ग्रेड वाला अधिकारी।
 - च. पीड़ित: इन दिशानिर्देशों में यथापरिभाषित, दुर्घटना में स्थायी निःशक्त या मरने वाला कोई भी व्यक्ति।
 - छ. स्थायी निःशक्तताः ऐसी निःशक्तता जो कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 2 (ठ) के उपबंध के अंतर्गत स्थायी पूर्ण निःशक्तता के रूप में वर्गीकृत।
- विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट:- इन दिशानिर्देशों की अनुसूची -। के अनुसार दुर्घटना की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर पुलिस द्वारा तैयार रिपोर्ट।

स्पर्श्टीकरण: विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से अनुसूची-। में संदर्भित शब्द 'चोट', इन दिशानिर्देशों के खण्ड 5 (छ) में उल्लिखित'' स्थायी नि:शक्तता का हवाला देता है।

7. देयता की सीमा: इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथा परिभाषित किसी भी "दुर्घटना" के होने पर विभाग, चाहे उसमें विभाग की ओर से कोई गलत काम, लापरवाही या चूक है या नहीं है तथा किसी अन्य कानून में उल्लिखित होने के बावजूद (सिवाय पीड़ित/नि:शक्तता व्यक्ति

-.-2/-

C a . . .

दुर्घटनाएं) निम्नलिखित यथा निर्धारित सीमा के अनुसार मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होगाः वाली होने Pro-करते उसके प्रयास/ या 8 अवैध गतिविधियों कोई दवारा

- मृत्यु या दोनो हाथो-पैरों की हानि के कारण होने वाली स्थायी नि:शक्तता की स्थिति में: 10,00,000 लाख रूपए (दस लाख रूपए केवल)। Ξ
- अन्य स्थायी नि:शकतता के मामले में: 700,000/- रूपए तक (सात लाख रूपए केवल)। (II)

8. मुआवजे के संबंध में दावों के निपटान हेतु प्रक्रियाः

- में विनिर्दिष्ट अधिकारी, जिसके न्यायाधिकार क्षेत्र में दुर्घटना हुई है, के समक्ष आवेदन क. पीड़ित या उसके आश्रित/ कानूनी उत्तराधिकारी दुर्घटना की तिथि से 90 दिनों की अवधि करेंगे। आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज लगाए जांएगे:
- . पीडित की आयु से संबंधित साक्ष्य
- ii. पीड़ित का मृत्यु प्रमाणपत्र

या

सरकार द्वारा प्राधिकृत चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी स्थायी नि:शक्तता प्रमाणपत्र।

- दुर्घटना के संबंध में दर्ज कराई गई एफआईआर की प्रमाणित प्रति। :=
 - iv. पीडित के साथ आवेदक के संबंध का साक्ष्य/निर्भरता प्रमाणपत्र।

HAP H सम्बन्ध का उल्लेख करेगा तथा विनिर्दिष्ट अधिकारी मुआवजा विनिर्दिष्ट अधिकारी दावे के निपटान हेतु अपने संतोष के लिए कोई और दस्तावेज भी मांग सकता है। बशतें कि जहां एक से अधिक आश्रित हैं वहां आवेदक उन सभी का नाम, जारी करने से पहले अपने विवेकानुसार उन सभी को नोटिस जारी कर सकता है। तथा पीड़ित के साथ उसके

विस्तृत कार्रवाई प्रस्तुत दुर्घटना रिपोर्ट पर विचार करेगा। प्राधिकारी प्राथमिकता आधार पर दावे पर द्वारा उपर्युक्त आवेदन की प्राप्ति पर पुलिस करेगा तथा मामले को निम्नलिखित समितियों के समक्ष रखेगा। विनिर्दिष्ट अधिकारी ख. व

क. स्वयं पशुपालन तथा डेयरी विभाग में:

	सयुक्त सचिव (प्रशा)	1	अध्यक्ष
	निदेशक/ उपसचिव (प्रशा)	1	सदस्य
(111)	निदेशक/ उपसचिव (वित)	I	सदस्य
iv)	अवर सचिव (प्रशा.)	1	सदस्य

ख. उसके नियंत्रणाधीन स्वायत निकायों/ संबद्ध एजेंसियों में

	मुख्य कार्यकारी) अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी	अध्यक्ष	
()]	निदेशक/उप सचिव (कार्मिक)	सदस्य	

(iii)	निदेशक/ उपसचिव (प्रशा)	ı	सदस्य
iv)	अवर सचिव / उप निदेशक (प्रशा)	4	सदस्य

उपर्युक्त समिति का कोई भी सदस्य/ अध्यक्ष पारिश्रमिक या मानदेय का हकदार नहीं होगा।

- अधिकारी विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पीड़ित/पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा प्रदान विनिरिष्ट करने पर विचार करने संबंधी प्रकिया को प्रारंभ करने के लिए स्वत: संज्ञान ले सकता है। उन मामलों में जहां पीड़ित/पीड़ित के आश्रितों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता, F.
 - सचिव अपने की जहां तक एक से अधिक आश्रित हैं, वहां आवेदक उनका नाम, पता तथा पीड़ित के पहले (д\$∏)/Зч Ŧ जारी करने निदेशक मुआवजा ਰੰਧਾ विवेकानुसार उन सभी को नोटिस जारी कर सकता है। The Stop (ਸ਼शा)/सीईओ/सीएओ/एसएओ/यूएस/डीडी/एसओ/एओ उल्लेख 8 सबध 3सके साथ बशते Ц.
 - की सिफारिशों को अनुमोदनार्थ डीएएचडीएफ में सचिव के समक्ष तथा अन्य संस्थानों के मामले में अध्यक्ष/सीईओ/सीएओ/ निदेशक/ इंचार्ज के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समिति hin
 - 48 यह पूरी प्रकिया दावा प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी, बशतें दावाकर्ताओं ने अपेक्षित दस्तावेज दे दिए हैं। . च
- के पश्चात् इस निर्णय को सूचित किए जाने के 30 दिन के अदर पीड़ित आवदेक एक बार इन दिशानिर्दशों के अंतर्गत यथा उपबंधित उपयुक्त मुआवजा दिए जाने का निर्णय कर (को) द्वारा सभी अपेक्षाओं को पूरा कर लिए जाने की शर्त पर राशि जारी कर दी जाएगी। लिए जाने 5
- यह धारा अनिवार्य रूप से शामिल की जाएगी कि इन दिशानिर्देशों के अधीन अदा किया गया संचालन तथा व्यवस्था के लिए किसी भी व्यक्ति या एजेंसी के साथ की जाने वाली सभी संविदाओं/करारों में इस विभाग द्वारा वर्तमान दिशानिर्देशों की तिथि से लोक सेवा के रख-रखाव, कोई भी मुआवजा ऐसे व्यक्ति, एजेंसी या फर्म से वसूला जाएगा। 5
 - किसी भी आश्रित की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के दावे पर किसी भी स्थिति में विभाग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। <u>4</u>

क्षतिपूर्ति का तरीका:

Fe (i) जो मुआवज़ा दिया गया है, वह राष्ट्रीयकृत बैंकों/डाकधरों में जमा किया जाएगा या यदि राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा अस्तित्व में नहीं है, तो इसे अनुस्चित वाणिज्यिक बैंक की शाखा में, संयुक्त या एकल पीड़ित/कानूनी उतराधिकारियों/आश्रितों के नाम में जमा किया जाएगा। जमा की गई राशि में से 75% (पचहत्तर प्रतिशत) को एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए एक सावधि जमा में रखा जाएगा और शेष 25% (पच्चीस प्रतिशत) पीडित/आश्रित जैसा भी मामला हो, के उपयोग और प्रारंभिक खर्चों के उपलब्ध होगा।

- --- - 4/-(ii) नाबालिग के मामले में, प्रदत मुआवजे की राशि का 75% सावधि जमा खाते में जमा किया जाएगा और यह केवल वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर ही आहरित किया जाएगा, लेकिन जमा होने के से पहले नहीं। बशतें कि असाधारण मामलों में, विभाग के विवेक पर लाभार्थी की शैक्षिक या चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए राशि आहरित की जा सकती है। एक वर्ष

(iii) रकम पर ब्याज सीधे मासिक आधार पर पीड़ित (आश्रित) के बचत खाते में बैंक द्वारा जमा किया जाएगा।

10. गलत और जानबूझकर दावा करने पर जुर्माना:

. . . .

विभाग/स्वायत निकाय/एसोसिएटेड एजेंसियां, कर्मचारी(यों) द्वारा गलत और जानबूझकर दावा किए जाने पर, सीसीएस आचरण नियम के अनुसार एफआईआर/केस की कार्यवाही/दंड/दंड शुरू कर सकती हैं।

11. वसूली- विभाग/स्वायत निकाय/एसोसिएटेड एजेंसियां गलत और जान-बूझकर किए गए दावे के लिए एफआईआर दर्ज करा सकती हैं/मामले पर कार्यवाही कर सकती हैं/ ब्याज समेत पूर्ण राशि की वसूली कर सकती है/पेंशन वाले लाभ यदि कोई हो तो, उनमें से वसूली कर सकती हैं।

12. अपील: मुआवजे की राशि या इस तरह के दावे की अस्वीकृति के संबंध में नामित अधिकारी के निर्णय के खिलाफ अपील सक्षम प्राधिकारी (सचिव/अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/महानिदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी) को ऐसे निर्णय के 90 दिन की अवधि के भीतर की जाएगी। । सक्षम प्राधिकारी ऐसी अपील प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर उस पर निर्णय लेगा।

13. निधि का स्रोत: प्रमुख शीर्ष 3451 के तहत शीर्ष "अन्य प्रभार"।

अनुसूची –।

	भाग –। – दुर्घटना का विवरण				
1.	एफआईआर सं, तिथि और धारा के अधीन				
2.	पुलिस स्टेशन का नाम				
3.	दुर्घटना की तिथि, समय, स्थान				
4.	दुर्घटना की सूचना पुलिस को किसने दी				
5.	उस व्यक्ति का नाम जो पीड़ित को अस्पताल ले गया और				
	अस्पताल का नाम				
6.	क्या किसी अस्पताल ने पीड़ितों के इलाज से इनकार किया?				
7.	दुर्घटना की प्रकृति:-				
	i. क्या दुर्घटना में मृत्यु हुई या चोट लगी या दोनों हुए?				
	ii. घायल/मृतकों की संख्या				
8.	जांच अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर				
9.	दुर्घटना के गवाहों के नाम				
10	दुर्घटना का विवरण				

	भाग –।। – पीड़ितों पर दुर्घटना का प्रभाव	
1.	मृत्यु के मामले में:	
	(क) मृतक का नाम और पता	
	(ख) आयु	
	(ग) लिंग	
	(घ) शिक्षा	
-1	(ङ) व्यवसाय	
	(च) आय (मासिक)	
	(छ) वैध उत्तराधिकारी/अभिभावक	
	i. नाम	
	ii. संबंध	
	iii. आयु	
	iv. पता	
	v. संपर्क नंबर	
2.		
2.		
	(क) घायल का नाम और पता	
	(ख) आयु	
	(ग) लिंग	
	(घ) शिक्षा	
	(ङ) व्यवसाय	
	(च) आय (मासिक)	
	(छ) पीड़ित के परिवार का विवरण एमएलसी सं.	
	(ज) चोटों की प्रकृति	
	(झ) अस्पताल का नाम जहां पर घायल का उपचार किया गया	
	(ञ) क्या पीड़ित ने चिकित्सा उपचार से मना किया	
	(ट) अस्पताल में भर्ती की अवधि	
	(ठ) उपचार की अवधि	
	(ड) क्या उपचार जारी है	
	(ढ) डॉक्टर का नाम, पता और संपर्क नंबर जिन्होंने घायल का	
	उपचार किया	
	(ण) क्या घायल की कोई सर्जरी करनी पड़ी? यदि हां, तो विवरण दें	
	(त) क्या कोई स्थायी नि:शक्तता हुई	
	(थ) उपचार, विशेष आहार, परिचारक आदि के लिए किए जाने वाले	
	व्यय का विवरण दें, यदि उपलब्ध हो।	
	(द) क्या घायल को अपने नियोक्ता से या एक मेडिक्लेम पॉलिसी	
	के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति मिली है। विवरण दें, यदि	
	उपलब्ध हो।	
	(ध) क्या घायल को बीमा कंपनी द्वारा नगदीरहित उपचार प्रदान	

In.

	किया गया था? विवरण दें, यदि उपलब्ध हो।	
3.	कोई अन्य आवश्यक सूचना	
	भाग-111 - संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज	г
1.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	
2.	सभी कोणों से दुर्घटना के दृश्यों के फोटोग्राफ	
3.	पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किए गए गवाहों के बयान	
4.	वैज्ञानिक रिपोर्ट, क्या पीड़ित शराब/ किसी भी ड्रग्स के प्रभाव में था	
5.	मृत्यु के मामले में (क) पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट (ख) मृत्यु प्रमाण पत्र (ग) मृतक का फोटो और पहचान का प्रमाण (ध) मृतक के कानूनी प्रतिनिधि का प्रमाण (ड) बैंक द्वारा सत्यापित फोटो, नमूना, हस्ताक्षर और मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के पहचान के प्रमाण। (च) अस्पताल के नाम और पते सहित, मृतक का उपचार (छ) मृतक के कानूनी प्रतिनिधि के बैंक खाते का नंबर	
6.	घायल के मामले में (क) एमएलसी (ख) घायल के बहु-कोणीय फोटो (ग) बैंक द्वारा सत्यापित फोटो, नमूना, हस्ताक्षर तथा घायल की पहचान का प्रमाण (घ) नि:शक्तता प्रमाणपत्र	
7.	कोई अन्य आवश्यक सूचना	

सत्यापन

_____में ___ की _____ को सत्यापित किया कि उपर्युक्त रिपोर्ट की विषयवस्तु सत्य और ठीक है और पैरा॥। में उल्लिखित दस्तावेजों की जांच कर ली गई है।

थाना गृह अधिकारी (नाम और मोहर)

सहायक पुलिस आयुक्त (नाम और मोहर)